

2
SUM 76/17

**SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1973
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gated (New Phase) (M.P.)**

Case No. Complainant or representative

Name and address of the Complainant
श्री. पु. रं. श्री.
पु. रं.
देवीराम

Name, parentage, etc and address of accused

देवीराम श. सिधाराम छत्राद उम. 24/11/17
नि. देवरामपुरा P/S तिलागिरी (द. मुं.)

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 15/3/17 मुक.
म. मानी वैध अनुप्राप्ति के अपन
अधिपत्य में 40 लीटर/पावे/बोतल शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।

ऐसा करके आपने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिष्ठा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

स्वीकार है कि दण्ड से बचने के लिए
अपराध किया है

देवीराम

15/3/17

आवेदन दिनांक

17/5/17

पुनर्निर्देशित

01 अभियुक्त को आवकरी अधिनियम 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना वाक्य किया।

02 संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आवकरी अधिनियम 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया गया है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं है।

03 अभियुक्त को आवकरी अधिनियम 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायिक उत्तर तक की अवधि तक की राज एवं रुपये 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर 07 का सजावट का समय की सजा सुनायी जाये।

अभिज्ञान संख्या

50 बकाय शरार नालकलयन

निराकी काफिल

2/5/17
प्राधिकृत अधिकारी प्रथम श्रेणी
नगर पुलिस स्टेशन